भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3260
दिनांक 29.03.2023/08 चैत्र,1945 (शक) को उत्तर के लिए

मौत की सज़ा की प्रतीक्षा कर रहे दोषसिद्ध

3260 श्री एस. निरंजन रेड्डीः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में कितने दोषसिद्ध मौत की सज़ा की प्रतीक्षा कर रहे हैं और वे कितने समय से इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तत्संबंधी राज्य-वार और जाति-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों में कितने मृत्युदंड के मामलों को क्षमा और उनका लघूकरण किया गया है, तत्संबंधी राज्य-वार और जाति-वार ब्यौरा क्या है;और

(ग) इनमें से कितने अपराधी मानसिक बीमारियों से पीड़ित हैं और पिछले पांच वर्षों में कितने लोगों ने आत्महत्या की है या आत्महत्या करने प्रयास किया है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय कुमार मिश्रा)

(क) और (ख): राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उसे सूचित किए गए कारागार संबंधी आंकड़ों को संकलित करता है और इन्हें अपने वार्षिक प्रकाशन "प्रिजन स्टेटिसटिक्स इंडिया" में प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2021 की है। दिनांक 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार, देश की जेलों में फांसी की सज़ा पाए हुए दोषियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या अनुलग्नक-I में दी गई है। पिछले पांच वर्षों में जिन कैदियों की फांसी की सज़ा को आजीवन कारावास के रूप में परिवर्तित किया गया है, उनकी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या अनुलग्नक-II में दी गई है। इस संबंध में जाति-वार आंकड़े केन्द्रीयकृत रूप में उपलब्ध नहीं हैं।

(ग): इस संबंध में विशिष्ट आंकड़े केन्द्रीयकृत रूप में उपलब्ध नहीं हैं।

*****

राज्य सभा अतारांकित प्र.सं 3260 दिनांक 29.03.2023

अनुलग्नक-I

दिनांक 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार, देश की जेलों में फांसी की सज़ा पाए हुए दोषियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	फांसी की सज़ा पाए हुए दोषी
1	आंध्र प्रदेश	13
2	अरुणाचल प्रदेश	0
3	असम	8
4	बिहार	46
5	छत्तीसगढ़	8
6	गोवा	0
7	गुजरात	8
8	हरियाणा	16
9	हिमाचल प्रदेश	3
10	झारखंड	31
11	कर्नाटक	27
12	केरल	17
13	मध्य प्रदेश	39
14	महाराष्ट्र	44
15	मणिपुर	3
16	मेघालय	0
17	मिजोरम	0
18	नागालैंड	0
19	ओडिशा	11
20	पंजाब	10
21	राजस्थान	18
22	सिक्किम	0
23	तमिलनाडु	17
24	तेलंगाना	6
25	त्रिपुरा	4
26	उत्तर प्रदेश	67
27	उत्तराखंड	18
28	पश्चिम बंगाल	37
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0
30	चंडीगढ़	0
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव	0
32	दिल्ली	12
33	जम्मू और कश्मीर	9
34	लद्दाख	0
35	लक्षद्वीप	0
36	पुदुचेरी	0
	कुल	**472**

राज्य सभा अतारांकित प्र.सं 3260 दिनांक 29.03.2023

अनुलग्नक-II

पिछले पांच वर्षों में जिन कैदियों की फांसी की सज़ा को आजीवन कारावास के रूप में परिवर्तित किया गया है, उनकी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कैदी जिनकी फांसी की सज़ा को आजीवन कारावास के रूप में परिवर्तित किया गया
1	आंध्र प्रदेश	5
2	अरुणाचल प्रदेश	0
3	असम	3
4	बिहार	30
5	छत्तीसगढ़	4
6	गोवा	0
7	गुजरात	18
8	हरियाणा	6
9	हिमाचल प्रदेश	0
10	झारखंड	11
11	कर्नाटक	19
12	केरल	5
13	मध्य प्रदेश	46
14	महाराष्ट्र	35
15	मणिपुर	0
16	मेघालय	0
17	मिजोरम	0
18	नागालैंड	0
19	ओडिशा	1
20	पंजाब	4
21	राजस्थान	30
22	सिक्किम	0
23	तमिलनाडु	11
24	तेलंगाना	1
25	त्रिपुरा	7
26	उत्तर प्रदेश	32
27	उत्तराखंड	0
28	पश्चिम बंगाल	19
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0
30	चंडीगढ़	0
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव+	0
32	दिल्ली	2
33	जम्मू और कश्मीर *	1
34	लद्दाख	0
35	लक्षद्वीप	0
36	पुदुचेरी	0
	कुल	**290**

'+' वर्ष 2017-2019 के लिए पूर्ववर्ती दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र तथा दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र के संयुक्त आंकड़े

'*' वर्ष 2017-2019 के लिए लद्दाख सहित पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य के आंकड़ेs